न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 21/ 2020 **दायर तारीख : 05-08-2020**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर — **प्रार्थी**

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी मिलताराम का तिबारा तन मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. ओमप्रकाश सिंह पुत्र कान सिंह वगैरह जाति राजपूत
3. कानाराम पुत्र रामसुखा वगैरह जाति बलाई

समस्त निवासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0)

— **अप्रार्थीगण**

उपस्थित : – पैराकार सरकार, प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– **07-01-2021**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम सताना पटवार मण्डल जोधूला में स्थित खसरा नंबर 1000/0.04, 1001/0.75, 1002/0.32, 1003/0.32, 1004/0.19, 1051/0.37 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। एवं खसरा नंबर 1052/1.63 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। आराजी मुतनाजा 1000/0.04 में से 0.0084, 1001/0.75 में से 0.0708, 1002/0.32 में से 0.0372, 1003/0.32 में से 0.0384, 1004/0.19 में से 0.0384, 1051/0.37 में से 0.0696, 1052/1.63 में से 0.1752 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार रा.उ.मा.वि. जोधूला उपला से भैरू जी तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम सताना संवत् 2076–2079, आदि पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंबर 1000/0.04 में से 0.0084, 1001/0.75 में से 0.0708, 1002/0.32 में से 0.0372, 1003/0.32 में से 0.0384, 1004/0.19 में से 0.0384, 1051/0.37 में से 0.0696, 1052/1.63 में से 0.1752 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। तथा निजी खातेदारी में अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। यह है कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 1001/0.75 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन नदी, खसरा नंबर 1052/1.63 हैक्टेयर कि किस्म गैर मुमकिन नला है। जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थना के संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ही प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। अतः तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में ग्राम सताना पटवार मण्डल जोधूला में स्थित खसरा नंबर खसरा नंबर 1001/0.75 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन नदी, खसरा नंबर 1052/1.63 हैक्टेयर कि किस्म गैर मुमकिन नला को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नियम अनुरूप एंव विधि संगत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 07.01.2021 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)